न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/7/17	पश्चात्वर्ती पेश हुई वकील श्री पक्ष प्रतिभू वकील उभय पक्ष की उपस्थिति पर पुनः बहस सुनी गई। वकील भाटी ने प्रस्तुत दस्तावेजात व बहस तथा पत्रावली में मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा दोनों बहस उभय पक्ष की दलीलों आदि पर मनन किया गया। वकील भाटी का प्रार्थना पत्र 09 R9 CPC जिसे दिनांक 6/7/17 को प्रस्तुत किया गया था को मय दिमार मानकर दिनांक 11/7/17 को खारिज किया गया है तथा वकील भाटी की प्रार्थना पत्र 09 R9 CPC पर नहीं सुना गया था। दोनों बहस वकील भाटी ने अपनी दलील में प्रार्थना पत्र 09 R9 CPC जो कि 6/7/17 को पेश किया गया है 30 दिवस पश्चात होना पाया जाता है तथा मूल वाद के प्रार्थना पत्र पुनर्विचार पर विस्तृत निर्णय लिखा जाकर स्वीकार किया गया है तथा प्रार्थना 09 R9 CPC दिनांक 6/7/17 पर पारित आदेश 11/7/17 को निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पुनर्विचार दिनांक 6/9/17 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 11/7/17 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कार्यवाही लिये चालान पेश किया जाता है। पत्रावली अन्तर्गत होकर अंतिम दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/7/17 को सुनाया गया।	

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)